मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 415] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 अगस्त 2007—श्रावण 30, शक 1929

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2007

क्र. एफ-2-1-1997-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (उन्नीस सौ अट्ठासी) का सं. (59) की धारा 88 की उपधारा (5) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" दिनांक 25 जनवरी, 2007 के पृष्ठ के पृष्ठ 55 से 56 (15) तक मध्यप्रदेश एवं राजस्थान सरकार के मध्य पारस्परिक परिवहन करार का प्रारंभिक प्रकाशन कर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे.

आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि उक्त सूचना प्रकाशित होने के दिनांक (25-1-2007) से 30 दिवस तक निर्धारित की गई थीं. आपत्तियों पर सुनवाई हेतु दिनांक 1 मार्च 2007 में विचार किया गया. विचारोपरांत आपत्तियां निरस्त की गईं.

अतः, अब, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश एवं राजस्थान राज्यों के मध्य पारस्परिक परिवहन करार का अंतिम प्रकाशन निम्नानुसार किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप राज द्विवेदी, उपसचिव.

राजस्थान सरकार और मध्यप्रदेश सरकार के मध्य पारस्परिक परिवहन करार

यह करार आज दिनांक 19 जुलाई 2007 को राजस्थान के राज्यपाल (जिन्हें आगे "राजस्थान सरकार" कहा गया है और जिसमें पदासीन उनके उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) प्रथम पक्ष तथा मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे "मध्यप्रदेश सरकार" कहा गया है और जिसमें उनके पदासीन उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) द्वितीय पक्ष के मध्य किया गया.

चूंकि, प्रदेशों में त्वरित आर्थिक विकास तथा राजस्थान और मध्यप्रदेश राज्य की समीपस्थता को ध्यान में रखते हुए, यह समीचीन समझा गया कि उक्त दोनों राज्यों के बीच यात्रियों और माल के लम्बी दूरी के अन्तर्राज्यिक परिवहन को प्रोत्साहित किया जाये और उनके प्रचालन को विनियमित, समन्वित और नियंत्रित किया जाये, इसलिए उक्त दोनों पक्षों ने एक पारस्परिक परिवहन करार 18 जुलाई 2001 को निष्पादित किया था.

और, चूंकि, दोनों राज्य बदली हुई परिस्थितियों एवं वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप एक नया करार करने के लिए सहमत हैं.

अतएव, अब, उक्त पक्षों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है:—

1. यह पारस्परिक परिवहन करार तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगा तथा उस समय तक विधिमान्य रहेगा, जब तक कि दोनों राज्यों के बीच नया करार या उसका पुनर्विलोकन न हो जाये या दोनों में से किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को छः माह की सूचना देकर विद्यमान करार को विखण्डित न कर दिया जाये.

2. **मालयान के अनुज्ञा-पत्र.**—(एक) **मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 के अधीन मालयान के अनुज्ञा-पत्र.**—अन्य राज्य के सम्पूर्ण भाग के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा जारी मालयानों की संख्या पर निर्बन्धन के बिना मालयान के लिए अनुज्ञा-पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन किये जाएंगे:—

(क) यदि करारकर्ता राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर नहीं कराया गया है तो एक बिन्दु कर का लाभ नहीं मिलेगा.

(ख) मालयान अनुज्ञा-पत्र, मोटरयान अधिनियम, 1988 को धारा 79 में विनिर्दिष्ट और संबंधित राज्य में प्रवृत्त राज्य मोटरयान नियमावली के अधीन ऐसी शर्तों, जिन्हें संबंधित परिवहन प्राधिकारी अधिरोपित करने के लिए उचित समझे, के अध्यधीन होंगे.

(ग) यह कि प्रतिहस्ताक्षर द्वारा आच्छादित यान का उपयोग व्यतिकारी राज्य के क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं पर माल लादने और उतारने के लिए नहीं किया जाएगा अर्थात् ऐसे यान, व्यतिकारी राज्य के क्षेत्र के भीतर अनन्य रूप से परिवहन कारोबार किये जाने से प्रतिषिद्ध होंगे.

(दो) **मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 के अधीन मालयान (अस्थायी अनुज्ञा-पत्र).**—एक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना और उनकी संख्या पर निर्बन्धन के बिना तीस दिन से अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी किये जा सकते हैं. इन अनुज्ञा-पत्रों द्वारा आच्छादित यानों पर, अन्य राज्य के क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं के मध्य माल लादा और उतारा नहीं जायेगा. फेरों की संख्या पर कोई निर्बन्धन नहीं होगा जो अनुज्ञा-पत्र की विद्यमानता के दौरान यानों द्वारा निष्पादित किये जा सकते हैं. यह भी करार पाया कि प्रचालक किन्हीं अन्य शर्तों का जिन्हें परिवहन प्राधिकारी मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79(2) के अधीन अधिरोपित करना उचित समझे, पालन करेगा.

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87(1)(घ) के अधीन स्थायी अनुज्ञा-पत्रों के नवीनीकरण के लंबित रहने के दौरान जारी किये गये अनुज्ञा-पत्रों के आधार पर पारस्परिक करारकर्ता राज्य के परिवहन अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर चलाये जा रहे मालयानों पर एक बिन्दु कर आरोपित होगा तथा शेष अस्थायी अनुज्ञा-पत्र द्विबिन्दु कर के आधार पर जारी किये जायेंगे.

3. **ठेका गाड़ी ओमनी बस.**—(एक) **मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 74 के अधीन मोटर कैब अनुज्ञा-पत्र.**—एकल बिन्दु कर आधार पर अन्य राज्य के सम्पूर्ण भाग के लिए प्रत्येक राज्य से संबंधित मोटर कैब ठेका गाड़ियों की संख्या पर

निर्बन्धन के बिना मोटर कैब गाड़ियों के अनुज्ञा-पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकारी की सिफारिश पर दूसरे राज्य के परिवहन अधिकारी द्वारा किया जायेगा. प्रतिहस्ताक्षर इन शर्तों के अध्यधीन होंगे कि यान दूसरे राज्य के क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं के मध्य किसी यात्री को न तो चढ़ायेगा न उतारेगा. एक बिन्दु कर की सुविधा प्रतिहस्ताक्षर होकर चलाये जा रहे यानों को ही प्राप्त होगी.

(दो) **मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 (1) के अधीन अस्थायी ठेका गाड़ी परमिट.**—अनुच्छेद 8 के उपबन्ध के अधीन आवश्यकतानुसार एक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा पारस्परिक करारकर्ता राज्य में विनिर्दिष्ट टर्मिनलों को जोड़ने वाले विनिर्दिष्ट मार्गों के लिए उस राज्य में द्विबिन्दु कर आधार पर प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा के बिना ठेका गाड़ी (ओमनी बस) के लिये अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी किए जा सकेंगे. ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्र पर अन्य राज्यों के देय कर का संदाय इस करार के अनुच्छेद 7 में विहित रीति से किया जायेगा तथापि किसी कारण से ऐसे राज्य द्वारा जारी अनुज्ञा-पत्र की वैधता अन्य राज्य के क्षेत्र में समाप्त हो जाती है तो ऐसे राज्य का परिवहन प्राधिकारी जिसकी अधिकारिता में वह यान हो, आवश्यक फीस और करों को प्राप्त कर एक नया अनुज्ञा-पत्र जारी कर सकेगा. ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:—

(क) ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्र पारस्परिक करारकर्ता राज्य में पन्द्रह दिन से अनधिक कालावधि के लिए विधिमान्य होंगे.

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट की गई बैठक क्षमता से अधिक यात्रियों को नहीं ले जाया जाएगा और न ही खड़े रहने वाले यात्रियों को अनुज्ञात किया जाएगा.

(ग) ठेका गाड़ी एक ही पक्ष द्वारा किराए पर ली जाएगी एवं वापसी यात्रा की तारीख स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जाएगी.

(घ) ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्र में बाहर जाने की तारीख तथा वापसी यात्रा की तारीख स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जाएगी. यदि किसी अस्थायी अनुज्ञा-पत्र पर ठेका गाड़ी को लगाने वाला कतिपय पक्ष अनुज्ञा-पत्र मंजूर करने के पश्चात् वापसी यात्रा की तारीख बदलवाना चाहता है तो वह ऐसे परिवहन प्राधिकारी से जिसकी अधिकारिता में उस समय ठेका गाड़ी हो, इस बाबत् लिखित रूप से अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करेगा.

(तीन) **ठेका गाड़ी के अनुज्ञा-पत्र [मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (8) के अधीन विशेष अनुज्ञा-पत्र] .**—ये अनुज्ञा-पत्र, पर्यटकों की आवश्यकता के अनुसार दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना प्रत्येक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा द्विबिन्दु कर आधार पर जारी किये जा सकते हैं. अनुज्ञा-पत्रों में प्रारम्भ और वापसी यात्रा को दर्शाते हुए यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम अन्तर्विष्ट होगा. अनुज्ञा-पत्र में वह क्रम जिसमें विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया जायेगा. ऐसे प्रत्येक स्थान पर आगमन और प्रस्थान के समुचित दिनांक के उपदर्शन सहित और मोटर कैब से भिन्न गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों की, अनुज्ञा-पत्र प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से हस्ताक्षरित सूची भी अन्तर्विष्ट होगी.

4. **मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 72 के अधीन मंजिली गाड़ियों के अनुज्ञा-पत्र.**—(एक) मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच अन्तर्राज्यिक मार्गों पर मंजिली गाड़ी चलाने के संबंध में पारस्परिक करार, संलग्नक "क" और "ख" के अनुसार होगा. प्रतिबंध यह होगा कि यदि संलग्नक "क" का कोई मार्ग किसी करारकर्ता राज्य द्वारा अधिसूचित है तो जिस राज्य की योजना प्रभावी है, उस राज्य द्वारा योजना के प्रावधान के अनुरूप ही परमिट जारी किया जायेगा.

(दो) यदि किसी राज्य की योजना में अन्य राज्य के संचालक को नामनिर्दिष्ट किये जाने की व्यवस्था है तो उस अन्य राज्य द्वारा नाम-निर्दिष्ट संचालक को संलग्नक "ख" के मार्गों पर संचालन अनुमान्य होगा. मध्यप्रदेश राज्य में मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम की समाप्ति के पश्चात् निगम/उपक्रम के स्थान पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा नाम-निर्दिष्ट संचालक इन मार्गों पर पारस्परिक करार में निर्धारित फेरों व अनुज्ञा-पत्रों के अनुसार चल सकेंगे.

(तीन) संलग्नक "ख" में उल्लिखित किसी मार्ग की योजना में यदि उपान्तरण कर निजी संचालकों को छूट दी जाती है तो मार्ग स्वतः संलग्नक "क" में परिवर्तित समझा जायेगा.

(चार) संलग्नक "क" में उल्लिखित यदि किसी मार्ग को किसी राज्य सरकार द्वारा संबंधित राज्य के परिवहन निगम को अनन्य संचालन हेतु अधिसूचित किया जाता है तो वह मार्ग स्वतः संलग्नक "ख" में परिवर्तित समझा जायेगा.

(पांच) प्रत्येक अन्तर्राज्यिक मार्ग पर प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित फेरों की संख्या यथासंभव प्रत्येक राज्य में पड़ने वाले मार्ग की लम्बाई के अनुसार नियत की जायेगी. इस करार के प्रयोजन के लिए फेरे का तात्पर्य दैनिक एकल फेरे से है. संलग्नक "क" और "ख" में उल्लिखित मार्गों का तात्पर्य उनमें उल्लिखित स्थानों से होते हुए दोनों राज्यों के पड़ने वाले दो टरमिनलों को जोड़ने वाले सबसे कम दूरी के सीधे मार्ग से है. उक्त संलग्नकों में प्रदर्शित मार्गों के नाम या उसकी लम्बाई में बाद में पायी गयी किसी विसंगति को व्यतिकारी राज्यों के मध्य तत्परता से पत्र-व्यवहार के माध्यम से ठीक किया जाएगा और उसे करार के किसी उपान्तर के रूप में नहीं समझा जायेगा.

(छः) संलग्नक "क" में उल्लिखित मार्गों की मंजिली गाड़ियों की समय सारिणी, दोनों राज्यों के अनुज्ञा-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों द्वारा नियत की जाएगी और संलग्नक "ख" में उल्लिखित मार्गों की मंजिली गाड़ियों की समय-सारिणी, पारस्परिक परामर्श, यदि अपेक्षित हो, के पश्चात् संबंधित राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा नियत की जायेगी.

(सात) किसी राज्य में स्थित भाग के लिए यात्री किराया, अपने-अपने राज्य द्वारा नियत की गयी दरों के अनुसार प्रभारित किया जायेगा.

(आठ) पारस्परिक करार के अधीन आने वाले दोनों राज्यों की मंजिली गाड़ियों के अनुज्ञा-पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर, एकल बिन्दु कराधान आधार पर किया जायेगा. एकल बिन्दु कर की सुविधा प्रतिहस्ताक्षर होकर चलाये जा रहे यानों को ही अनुमान्य होगी. इस करार से पूर्व प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञा-पत्र उनकी वैधता अवधि तक वैध रहेंगे.

(नौ) यदि किसी कारण से अनुज्ञा-पत्र के, उसकी समाप्ति के पूर्व, नवीनीकरण के लिए किसी आवेदन-पत्र पर विनिश्चय करना सम्भव न हो तो व्यतिकारी राज्य को सूचित करने के अधीन चार माह तक की अवधि के लिये गृह राज्य मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 (1) (घ) के अधीन अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी कर सकता है और नीचे दिये गये परन्तुक के अध्यधीन ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों पर व्यतिकारी राज्य का प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित होगा और मोटरयान को एकल बिन्दु कराधान आधार पर चलाने के लिए प्राधिकृत किया जायेगा. परन्तु अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्र मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 81 (2) के अधीन नवीनीकरण आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात समय के भीतर सम्बन्धित प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया हो.

(दस) यदि पारस्परिक यातायात समझौते के अन्तर्गत किसी मार्ग पर परमिट प्राप्त करने के उपरान्त किसी राज्य के निगम द्वारा दूसरे राज्य में संचालन नहीं किया जा रहा है, तो जिस अवधि में संचालन नहीं हुआ है, उस अवधि का कर प्रतिहस्ताक्षर करने वाले राज्य में केवल उसी दशा में देय नहीं होगा जबकि प्रतिहस्ताक्षरकर्ता राज्य के कराधान अधिनियम में विहित प्रावधानानुसार अनुज्ञा-पत्र/प्रतिहस्ताक्षरपत्र समर्पित कर दिया गया हो.

(ग्यारह) यदि पारस्परिक यातायात समझौते के अन्तर्गत किसी मार्ग पर परमिट प्राप्त करने के उपरान्त किसी राज्य के निगम से भिन्न संचालक द्वारा किसी दूसरे राज्य में संचालन नहीं किया जा रहा है, तो जिस अवधि में संचालन नहीं हुआ है, उस अवधि का कर प्रतिहस्ताक्षर करने वाले राज्य में केवल उसी दशा में देय नहीं होगा जब प्रतिहस्ताक्षरकर्ता राज्य के कराधान अधिनियम में विहित प्रावधानानुसार अनुज्ञा-पत्र /प्रतिहस्ताक्षर-पत्र समर्पित कर दिया गया हो.

(बारह) नये मार्गों पर संचालन की व्यवस्था करने तथा विद्यमान मार्गों पर फेरों की संख्या में वृद्धि दोनों पक्षों द्वारा आवश्यक विधिक औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् की जा सकेगी तथा उनके द्वारा की गयी कार्यवाही इस करार का अंग माना जायेगा.

(तेरह) प्रारम्भिक समय-सारिणी का निर्धारण अनुज्ञा-पत्र मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा बिल्कुल अनन्तिम आधार पर किया जायेगा जो अधिकतम चार मास की कालावधि के लिए विधिमान्य होगा और सेवा का तत्काल प्रचालन करने के लिये ऐसा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा. इस कालावधि के दौरान प्रतिहस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी अनुज्ञा-पत्र मंजूरी करने वाले प्राधिकारी के परामर्श से समय-सारिणी को अन्तिम रूप देगा.

(चौदह) पारस्परिक करारकर्ता राज्य के परिवहन उपक्रम के लिए संलग्नक "ख" के मार्ग पर जारी मूल परमिट अथवा मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 87 (1) (घ) के अधीन जारी अस्थायी परमिटों के प्रतिहस्ताक्षर सम्बन्धी आवेदन यथासंभव उसी तिथि को निर्णित किये जायेंगे जिस दिन प्रतिहस्ताक्षर की संस्तुति प्रस्तुत की जायेगी. बशर्ते दोनों राज्यों के निगमों के द्वारा समय-सारिणी पर सहमति प्रदान की गयी हो.

(पन्द्रह) दोनों राज्यों की बसों का संचालन बिन्दु एक ही होगा अर्थात् राजस्थान राज्य की बसों का संचालन मध्यप्रदेश राज्य के बस स्टैण्डों तथा मध्यप्रदेश राज्य की बसों का संचालन यथास्थित राजस्थान राज्य के बस स्टैण्डों से होगा.

(सोलह) स्थायी/अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी होने/नवीनीकृत करने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर परमिटधारी द्वारा संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकार को प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन करना होगा अन्यथा स्वीकृति अनुज्ञा-पत्र निरस्त किया जा सकेगा.

(सत्रह) राजस्थान राज्य के अधिसूचित मार्गों पर संचालित मध्यप्रदेश शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट मंजिली गाड़ियों को, मध्यप्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्धारित, राजस्थान राज्य द्वारा अनुमोदित रंग योजना के अनुरूप वाहनों पर रंग कराया जाना अनिवार्य होगा. ऐसे संचालित मंजिली यात्री वाहन का रंग राजस्थान राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकार के द्वारा अनुमोदित किया जावेगा.

(अठारह) अधिसूचित मार्गों पर राजस्थान राज्य द्वारा निर्धारित स्टीकर/होलोग्राम को मध्यप्रदेश राज्य की ओर से संचालित होने वाले वाहनों पर लगाया जाना अनिवार्य होगा.

(उन्नीस) इस समझौते के अन्तर्गत संचालित होने वाली मंजिली गाड़ियों में यात्रियों के बैठने की क्षमता चालक तथा परिचालक को छोड़कर 50 सीट से कम नहीं होगी.

(बीस) संलग्नक ''क'' एवं ''ख'' में उल्लिखित मार्गों के लिए समस्त पूर्ववर्ती मंजिली गाड़ियों के अनुज्ञा-पत्र, जो दोनों में से किसी राज्य द्वारा इस करार के प्रवृत्त होने के पूर्व प्रतिहस्ताक्षरित है, प्रवृत्त रहेंगे.

स्पष्टीकरण.—(क) किसी मोटरयान के संबंध में शब्द एकल बिन्दु मोटरयान कर या शब्द एकल बिन्दु कर आधार से अभिप्रेत है, गृह राज्य में देय सभी करों के संदाय का दायित्व परन्तु इस करार के अधीन राजस्थान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होकर चलाये जा रहे मध्यप्रदेश की यानों के संदर्भ में राजस्थान में देय मोटर वाहन कर से छूट परन्तु विशेष पथ कर के भुगतान का दायित्व तथा मध्यप्रदेश द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होकर चलाये जा रहे राजस्थान के यानों के संदर्भ में मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम, 1991 के उपबन्धों के अधीन प्रतिहस्ताक्षरित श्रेणी के यानों के लिये निर्धारित कर के संदाय का दायित्व.

(ख) किसी मोटरयान के संबंध में शब्द ''द्विबिन्दु कर आधार'' से अभिप्रेत है, दोनों राज्यों के कर/मोटरवाहन कर/अतिरिक्त कर/विशेष पथ कर/टोल्स को सम्मिलित करते हुए सभी करों के संदाय का दायित्व.

5. **मुक्त जोन.**—(क) मालयानों, मंजिली गाड़ी तथा ठेका गाड़ी के संचालन के लिये, रेल्वे माल गोदाम को सम्मिलित करते हुए भवानीमंडी नगरपालिका क्षेत्र मुक्त जोन होगा.

(ख) मालयानों, मंजिली गाड़ियों के संचालन के लिये रेल्वे क्रासिंग से झालावाड़ रोड रेल्वे स्टेशन तक की सड़क मुक्त जोन होगी.

(ग) मध्यप्रदेश से आने वाली मंजिली गाड़ियों तथा ठेका गाड़ियों के संचालन के 3 कि.मी. तक ग्राम खातौली मुक्त जोन होगा, इसी प्रकार राजस्थान से आने वाली मंजिली तथा ठेका गाड़ियों के तीन कि.मी. तक बन्धा गांधी सागर मुक्त जोन होगा.

उक्त उल्लिखित मुक्त जोन के लिये, अनुज्ञा-पत्र जारीकर्ता परिवहन प्राधिकारी ऐसे अनुज्ञा-पत्र धारकों से संबंधित पारस्परिक करारकर्ता राज्य के कराधान अधिनियम एवं नियम के प्रावधान अनुसार देय समस्त दूरी का सम्पूर्ण कर जैसे मोटरयान कर/विशेष पथकर आदि वसूल करेगा.

6. **कॉरीडोर मार्ग.**—राजस्थान और मध्यप्रदेश दोनों राज्यों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ मार्ग एक राज्य में प्रारम्भ और समाप्त होने वाले बिन्दुओं के बीच अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र के किसी छोटे भाग में से होकर जाते हैं. अतएव राज्य के मोटरयानों को, जो ऐसे मार्गों पर चलाये जाने के लिए अनुज्ञात हैं, सम्पूर्ण यात्रा पूरी करने के लिए दूसरे राज्य की उस छोटी सी पट्टी से होकर जाना पड़ेगा.

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (1) के अधीन यह उपबन्धित है कि जहां किसी मार्ग के प्रारम्भ होने वाले बिन्दु और समाप्त होने वाले दोनों बिन्दु एक ही राज्य में स्थित हों किन्तु ऐसे मार्ग का भाग किसी दूसरे राज्य में पड़ता हो और ऐसे मार्ग की लम्बाई सोलह किलोमीटर से अधिक न हो, वहां अनुज्ञा-पत्र मार्ग के उस भाग के संबंध में जो उस अन्य राज्य में है, अन्य राज्य में इस बात के होते हुए भी कि ऐसे अनुज्ञा-पत्र पर उस दूसरे राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर नहीं किया गया है विधिमान्य होगा. उस खण्ड के प्रयोजनों के लिए सोलह किलोमीटर से अनधिक इस छोटे से भाग को मुक्त कॉरीडोर के रूप में कहा गया है.

विधि के इस विशिष्ट उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए मुक्त कॉरीडोर सुविधा का लाभ उठाने वाले ऐसे यानों के अनुज्ञा-पत्र को मोटरयान कर के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञा-पत्रों के समान समझा जाएगा जिन्हें सम्यक्रूप से प्रतिहस्ताक्षरित किया जाता है और वे एकल बिन्दु कर के आधार पर अनुज्ञात होंगे. ऐसे मार्गों को समझौते में सम्मिलित माना जायेगा.

और यह भी करार पाया गया कि जब सभी पारस्परिक करारकर्ता राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा अन्य राज्य के मुक्त कॉरीडोर में वाहन प्रचालन के लिए स्वीकृत किये जाते हैं तो ऐसे अनुज्ञा-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से यह पृष्ठांकित किया जाएगा कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन अनुज्ञा-पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित नहीं हैं. जारी करने वाला प्राधिकारी अन्य राज्य के उस प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी को, जिसके क्षेत्र में ऐसा मुक्त कॉरीडोर आता है, ऐसे अनुज्ञा-पत्रों के विवरण प्रख्यापित करेगा.

7. **करों के संदाय का ढंग.**—(क) अनुज्ञा-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी अस्थायी अनुज्ञा-पत्र या विशेष अनुज्ञा-पत्र को जारी करने के पूर्व मध्यप्रदेश राज्य के समस्त कर अग्रिम रूप से भारतीय स्टेट बैंक के नाम पर लिखे गये डिमाण्ड ड्राफ्ट कर संग्रह केन्द्रों द्वारा संदत्त कर दिये गये हैं. राजस्थान राज्य का कर संबंधित कर संग्रह केन्द्र पर जमा करवाना होगा.

(ख) राजस्थान राज्य के अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के लिये स्वीकृत अस्थायी अनुज्ञा-पत्र/विशेष अनुज्ञा-पत्र का कर जो डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा वसूला गया है, के ड्राफ्ट का क्रमांक और रकम का इन्द्राज अनुज्ञा-पत्र/विशेष अनुज्ञा-पत्र के मुख्य पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से पृष्ठांकित किया जायेगा.

(ग) समस्त अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों तथा विशेष अनुज्ञा-पत्रों की प्रतियां भारतीय स्टेट बैंक के नाम लिये गये डिमाण्ड ड्राफ्टों अन्य सुसंगत जानकारी के साथ निम्नलिखित निदर्शन-पत्र (प्रोफार्मा) में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारी, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को तुरन्त भेजी जायेगी और राजस्थान की दशा में ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों/विशेष अनुज्ञा-पत्रों की प्रतियां मासिक अन्तराल पर वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजी जायेगी.

अनुक्रमांक	यान के स्वामी का नाम तथा पता	अनुज्ञा-पत्र क्रमांक तथा यान क्रमांक	यान का सकल यान भार तथा यान की क्षमता बैठक	अनुज्ञा-पत्र की वैधता तारीख		बैंक ड्राफ्ट की संख्या और धनराशि
				से	तक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

8. **अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए सामान्य सहमति.**—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (7) उपबंधित करती है कि धारा 88 (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी एक प्रदेश का प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी धारा 87 के अधीन अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जो दूसरे राज्य में विधिमान्य होगा उस राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी की सहमति से साधारणतः या विशिष्ट अवसर के लिये जारी कर सकेगा.

विधि के इस विशिष्ट उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए यह करार पाया गया है कि दोनों राज्यों के राज्य परिवहन प्राधिकारी मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (1) के अधीन प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा के बिना मालयान और ठेका गाड़ियों (ओमनी बसों और मोटर कैबों) के लिए अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (7) के अधीन सामान्य सहमति प्रदान करते हैं.

9. **सामान्य.**—(एक) व्यतिकारी राज्य, इस करार के अनुसार अन्तर्राज्यिक मार्गों पर चल रहे यानों के संबंध में दोनों राज्यों में से प्रत्येक की सुसंगत नियमावली के अधीन जारी कर, टोकनों, चालक और परिचालक अनुज्ञप्ति परिवहन यान प्राधिकार और फिटनेस प्रमाण-पत्र को मान्यता प्रदान करेंगे.

(दो) दोनों राज्य अपने द्वारा जारी ऐसी अनुज्ञायें जिन पर प्रतिहस्ताक्षर परस्पर राज्यों द्वारा किया गया है और यदि ऐसे अनुज्ञाधारी अन्य राज्य के करों का नियमानुसार भुगतान न करने पर बकायादार हो जाते हैं एवं वाहन का संचालन बन्द कर देते हैं, ऐसे बकायादारों से कर की वसूली में सहयोग करेंगे.

जिसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने प्रथम उल्लिखित दिनांक को इस करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं.

हस्ता./-	हस्ता./-
(एम. के. राय) प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग, मध्यप्रदेश सरकार	**(जगदीश चन्द्र)** आयुक्त एवं शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से	राजस्थान के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से
साक्षी	साक्षी
1. हस्ता./-	1. हस्ता./-
(एन. के. त्रिपाठी) परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश.	**(रवीन्द्र यादव)** उप परिवहन आयुक्त राजस्थान सरकार.

ANNEXURE-"A"

(Non-Notified Routes)

S.No.	Route	Km.			Single Trip		Operational Kms		Permits	
		Raj. (3)	M.P. (4)	Total (5)	Raj. (6)	M.P. (7)	Raj. (8)	M.P. (9)	Raj. (10)	M.P. (11)
(1)	(2)									
1	Shri Chhatarpura-Chambal Dam	0.21	61	61.21		8		1.68		4
2	Pratapgarh-Neemuch via Bordia (Kacha Marg)	26	29	55	4	8	116	208	2	4
3	Chittorgarh-Kanera via Balundi Garhwari	39	7	46	4	2	28	78	2	1
4	Shri Chhatarpura-Rampura	0.21	93	93.21		10		2.1		5
5	Neemuch-Jhalawar Road via Manasa Rampura-Chambaldam-Bhanpura.	0.21	154	154.21		16		3.36		8
6	Pratapgarh-Piplod via Nimod	42	3	45	4	2	12	84	2	1
7	Bhawanimandi-Garoth	13	15	28	4	8	30	26	2	4
8	Kailsahpur-Bhawanimandi via Bhanpura	0.11	35	35.11		2		0.22		1
9	Chomela-Baroda via Gangdhar, Rampura	24	8	32	4	2	32	48	2	1
10	Jirapur Sathkhera via Garoth	34	81	115	4	8	324	272	4	4
11	Chhabra-Kumbharaj via Nopali, Akhedi	32	11	43	2	10	22	320	2	5
12	Swamidhopur-Pali-Sheopur	30	26	56	16	12	156	504	8	12
13	Sheopur-Khatioli	2	23	25	4	2	92	4	1	1
14	Chachoda-Manoharthana	13	13	26	2	2	26	26	1	1
15	Sironj-Chhabra via Lateri, Maksudangarh, Jamner Janjali, Chourasha Kumbhraj Badod, pali.	30	112	142	2	2	224	60	1	1
16	Arnod-Mandsour via Bedama, Janchli, Kulthanna, Asawata Basera, Kuni, Selarpura, Rajpuriya.	31	12	43	4	2	48	62	2	1
17	Bajana-Kushalgarh via Patan-Sarwa-Bhikampura	45	7	52	2	2	14	90	1	1
18	Bhanpura-Silegarh via Garoth-Boliya	2	45	47		2		4		1
19	Mandsour-Arnod via Rajpuria, Kuni, Selarpura, Basera, Asawata, Vilesari, Kulthana, Mandawar, Janjali Nagdeda.	40	12	52	4	4	48	160	2	2
20	Maukhedi to Mandsour extended Arnod via Berma, Jajati, Pipalkhedi, Katlar, Karju, Garoda, Tajkheri, Majesara, Semaila, Daloda, Bani Khera.	14	55	69	2	2	110	28	1	1
21	Bhanpura Ramgangamandi via Undowa	13	18	31	56	40	1736	520	7	5
22	Guna-Nahargarh via Sukahedi, Agar, Baneh, Bhorachouraha, Magroda, Fatehgarh, Rangpura, Vishunpura, Kapasi, Anarath, Chouraha, Rajpura.	6	70	76	4	4	280	24	1	1
23	Padon-Kelwara via Kumhari, Wamuriya, Sirsod, Narayan Khedi, Khusiyara.	16	112	128	2	4	224	64	2	2
24	Siroj-Manoharthana via Lateri, Maksudangarh, Suthaliya. Vyavra, Dundjod, Rajgarh, Kothibagh, Kailipeeth.	13	132	145	2	10	264	130	1	5
25	Utanwada-Swamimadhopur via toli	42	56	98	12	10	672	420	6	5
26	Bamori-Aron via colony, Bhora, Chouck, Fatahgarh, Kori, Anapura, Hamirpur, Gangor, Acholi, Ghattaghatti, Bhulon, Bachapa, Dharnawarda, Ruthiyayee, Guna, Bajrangarh, Chhipon, Dharoda, Baremeda.	39	106	145	2	2	212	78	1	1
27	Manawar-Kushalgarh via Kukshi-Meghnagar-Jovat-Jhabua.	17	150	167		2		34		1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
28	Gulana-Dug via Kailshindh, Lahori, Shajapur, Dupada, Kangarh, Agar, Vijayanagari.	7	109	116		2		14		1
29	Dudhaliya-Shajapur via Vijaynagari, Agar, Kanad, Dupada.	2	66	68		8		16		4
30	Barai-Bhopal via Bakani, Goghatpur, Machalpur, Jeerapur, Chhapiheda, Sandawata, Khujner, Pachor, Bioda, Mandawar, Maukhedi, Bairasiyagram, Ganiyari, Narsighharh, Runata, Bairasiya.	16	203	219		8		32		4
31	Mandsour-Pratapgarh via Rewas, Naugaon, Ninwan Pillu, topakheda, Gadola, Anmlawad.	19	20	39	2	4	40	76	1	2
32	Kushalgarh-Bajana via Mohkampura, Chhotisarwa, Patan, Sajapur.	39	7.3	46.3	2	4	14.6	156	1	2
33	Karadiya-Mandsour via Cheetakheda, Jeeran, Harbar, Kokalio, Wardiya, Raj, Umran, Kanghati, Pipliya, Station, Bottleganj, Sidhpan.	4	50	54	4	4	200	16	2	1
34	Aron-Fatahgarh via Barkheda, Chhipon, Bajrangarh, Guna, Gader, Kanchanpura, Ruthiyayee, Dharnawada, Motipura, Napcha, Bhulon, Ghattaghatti, Chhawada, Acholi, Bhugor, Hamirpur, Anapur.	37	82	119	2	2	164	74	1	1
35	Vijaipur-Swaimadhopur via Tentara, Virpur, Shyampur, Ochhapur, Dhov, Bargada, Piprani, Soras, Kalmi, Seopur, Pali, Baramada.	29	165	194	-	2	-	58	-	1
36	Dhodar-Dalot via Chiklana, Kalukheda, Sukheda, Piploda.	13	45	58	4	4	180	52	2	2
37	Rampura Rawatbhata via Gandhisagar	47	45	92	4	2	180	94	2	1
38	Neemuch-Rawatbhata via Manasa, Rampura, Gandhisagar.	47	108	155	4	12	432	564	2	6
39	Khadawada-Silegarh via Barkheda, Gangasa, Garoth, Pawati.	4	35	39	-	4	-	16	-	1
40	Jeerapur-Garoth via Machalpur, Pipliya, Gogtpur, Soyat Pirawa, Boliya.	34	66	100	-	2	-	68	-	1
41	Neemuch-Pratapgarh via Chitakheda, Jeran	27	30.3	57.3	4	12	121.2	324	2	6
42	Mandsour-Arnod Extd-Mandsour to Suthi via Gujarwahina, Pipliya, Lodasuri.	40	12	52	4	4	160	48	2	2
43	Dalod-Mandsour via Chakunda, Bhachunda, Mawata, Kahajuriya, Nimmod, Patela, Daloda.	16	52	68	8	4	416	64	2	2
44	Mandsour-Pratapgarh via Rewas, Naugaon, Ridwan, Girgoda, Magroda, Dawachha, Barmud, Chandkhedi.	20	17	37	4	6	68	120	2	3
45	Kailarash-Mandrail via Rampur Sabalgarh Atar	2	55	57	8	8		8	4	4
46	Chhavada-Guna via Ghatta-Ghatti, Bhulon, Wavcha, Motipura, Dharana, Wade, Ruthiyayee, Kanchanpura.	29	32	61	2	4	64	116	1	1
47	Jeerapur-Garoth via Machalpur, Pipliakulmi, Gogatpur, Soyat, Pirawa, Boliya.	34	66	100	-	2	-	68	-	1
48	Mandsour-Pratapgarh via Daudhkedi, Gujarda, Ghatrawad, Rewas, Dewada, Naugawa, Ninwan, Pillu, Topakheda, Gadola, Bhuwasia.	17	20	37	4	6	80	102	2	3
49	Jhundpura-Mandrail via Asalpur-Madhogarh-Kailarash-Jalagarh-Rampurkala-Bamsoli-Sabalgarh-Magrolghat.	2	75.65	77.65	-	2	-	4	-	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
50	Dewaria-Silegarh via Lasudia Sathkheda, Barkheda, Garoth, Pawati, Boliya.	2	41	43		2		4		1
51	Mandsour-Kotari via Nipaniya, Banikhedi, Daloda, Akya, Sarsoad, Nimmod, Chandkhedi, Wapur, Nandwel, Soli.	6	54	60	8	8	432	48	2	2
52	Dhodhar-Swaimadhopur via Manpur, Jaini, Sirsod, Sweapur, Somni, Amni, Dhanawada, Dantarda, Palipur, Bherawada, Chhad.	27	40.4	67.4		4		108		1
53	Bachundiay-Mandsour via Ranigaon extd. Bachudiya to Dalot via Mandwichakaunda-Bachundla.	15	53	68	2	4	106	60	1	2
54	Suwasara-Chomela via Tarnod, Guradi, Jhala, Jetakhedi, Gangdhar.	10	10	20	4	10	40	100	1	1
55	Kundla-Pratapgarh via Chittakheda-Jeeran	27	90	117	2	2		54	1	1
56	Simraniya-Guna via Vitthalpur, Vishanwada, Athkhedi, Gadala, Sonkhara, Sherpur, Patan, Kherikhata, Vanipura, Mohanpura, Bagroda, Umri, Patai.	10	50	60	2	2	100	20	1	1
57	Umariva-Pratapgarh via Pillu-Gadola Amlawad	14	2	16	8	8		112	4	4
58	Pratapgarh-Neemuch via Barodia, Chitakheda, Jeeran, Aerodrum.	14	29	43	2	2	58	28	1	1
59	Manasa-Kanera via Jawad, Palakheda, Modi, Surwaniya, Javi, Unched, Bhadwamata, Swan.	15	74	89	8	8	592	120	4	4
60	Shri Chatarpur-Mandsour via Bhanpura, Garoth Shayamgarh Suvasara, Sitamau.	0.21	137	137.21	4	10	448	2.1	2	5
61	Bolia-Pidawa	24	10	34	2	2	20	48	1	1
62	Bhensodamandi-Sunel via Bhawani Mandi, Gangapura, Vishaniya.	16	1	17	6	12	6	160	3	6
63	Suwasara-Pidawa via Ghasoi, Runjia, Dikaria, Pagaria, Avar, Nosai, Kotri.	34	13	47	2	4	26	136	1	2
64	Pachore-Sarda via Khujner, Sadawata, Chhapihera, Bhaktkheda, Biorakal, Khilchipur, Bhojpur, Semili, Raj. Naka.	6	77	83	2	4	154	24	0	2
65	Pratapgarh-Jaorga via Kherot	54	24	78	8	2	192	108	4	1
66	Swamidhpur-Baroda via Pali, Sheopur	58	50	108	12	10	600	580	6	12
67	Pratapgarh-Chomela via Sithamhu, Mandsour	42	61	103	4	2	122	84	2	2
68	Barisadri to Mandsour via Choti Sadri, Chittchkhera, Batagoda.	39	43	82	4	4	172	156	2	2
69	Kushalgarh Bamniya via Karwa	35	31	66	4	2	124	70	4	1
70	Bamniya to Bajana	15	29	44	1	2	29	30	1	1
71	Agra-Suwasara via Dug	23	51	74	8	4	408	92	4	2
72	Suwasra to Chomela via Sunser	55	27	82	1	2	27	110	2	1
73	Agar to Shyamgarh via Barod, Dug, Swasara	18	68	86	4	2	272	36	2	2
74	Sitamau to Barod via Dug	42	6	48	2	2	12	84	1	1
75	Chechat to Soyat via Chawali	80	10	90	2	2	20	160	1	1
76	Bhawani Mandi-Susner via Pidawa	48	19	67	12	6	228	96	3	3
77	Rajgarh-Suwasara via Khilehipur, Jiram, Susron	27	106	133	1	2	106	154	1	1
78	Jhalawar-Bhalta-Machalpur via Rooparari, Rechimratlia.	63	6	69	6	2	36	362	3	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
79	Ratlam-Kapasan via Dalot, Pratapgarh, Dhariyavad, Badisadri.	219	42	261	4	4	168	876	4	4
80	Jawara-Mandsour via Dalot, Pratapgarh	77	37	114	4	2	74	154	2	1
81	Punali-Mandsour via Sagvara, Dariyvad, Pratapgarh	181	13	194	4	2	52	362	4	1
82	Pratapgarh-Pipliya mandi via Amlavad Godholiya, Pillu, Kaccha Road.	22	15	37	8	8	120	176	2	2
83	Nimbahera-Arnod via Neemuch, Mandsour, Rajpuriya, Pratapgarh.	49	80	129	10	4	800	196	5	2
84	Pratapgarh-Mandsour via Avlevesor Asawata, Baroda, Selarpura, Kuni.	32.2	11.8	44	2	2	23.6	64.4	4	1
85	Pratapgarh-Rawati via Arnod, Dalot, Piploda, Sailana, Shivgarh.	54	59	113	4	4	236	216	2	2
86	Pratapgarh-Jawara via Arnod Chupna, Dalot, Siliyakhera.	66	14	80	2	2	28	112	1	1
87	Choti Sadri-Mandsour via Chieta Khera Jeeran Kaccha Road.	7	44	51	4	2	176	14	2	1
88	Kulthana-Kharju via Bileshwari, Nanddawata Kaccha Road.	4	7	11	16	8	112	16	2	1
89	Pipal Khoot-Mandsour via Dhabra, Sameliya, Sughapura, Naugaon, Bhavgarh, Dalot, Banikheri.	55	40	95	6	6	240	330	3	3
90	Chambal Dam-Begun-via Ratangarh	76	17	93	20	2	340	238	10	1
91	Bhilwara-Bhansroadgarh via Dhandi	119	21	140	6	12	126	168	3	3
92	Choti Sadri-Neemuch via Dhamania	14	6	20	20	4	120	24	5	2
93	Begum-Rawatbhata via Singholi	59	21	80	30	6	420	354	15	3
94	Nimbahera-Begu via Jawad-Athana-Kanera	51	39	90	4	4	156	204	2	2
95	Pratapgarh to Mandsour via Rajpuraia	23	13	36	32	8	416	184	8	2
96	Pratapgarh to Ratlam via Dilot Bordiya	87	42	129	8	8	336	696	16	4
97	Banswara to Mandsour via Pratapgarh-Rajpuroja	110	13	123	12		156	0	6	
98	Bhanpura to Agar via Garoth Goliya Pagariya Dag Barod Modkala.	69	80	149	4	8	320	632	2	4
99	Neemuch-Nimbahera via Nayagaon-Dhasundi	6	21	27	8	-	168	-	4	-
	Total . .	3248.15	4655.45	7903.6	525	506	15707.4	13503.9	237	234

ANNEXURE-"B"

(Notified Routes)

S.No.	Route	Km.			Single Trip		Operational Kms		Permits	
		Raj.	M.P.	Total	Raj.	M.P.	Raj.	M.P.	Raj.	M.P.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Neemuch Badisadri	49	6	55	2	2	12	98	1	1
2	Neemuch-Chhotisadri-Bhanwarmata	20	6	26	10	8	60	160	3	2
3	Chittorgarh-Arnod via Nimbaheda Neemuch, Mandsour, Pratapgarh.	80	80	160	6	4	480	320	6	2
4	Chittorgarh-Singoli via Begu, Dhardi	88	17	105	6	2	102	176	6	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Chittor-Rawatbhata via Begu, Singoli, Bainsrodgarh.	119	21	140	8		168		8	
6	Chittor-Kota via Begu, Singoli, Bhansroad-garh, Rawatbhata, Borawas.	176	21	197	8		168		4	
7	Bhilwara-Indore via Chittor, Neemuch, Mandsour, Ratlam, Badnawar.	94	293	387	4	2	1172	188	4	2
8	Neemuch-Singoli-Begu-Chittorgarh via Singoli, Begu.	88	101	189		2		176		1
9	Mandsour Begu via Dhardi, Singoli, Ratangarh	33	153	186		2		66		2
10	Kota Neemuch via Singoli, Rawatbhata	86	88	174	2	2	176	172	2	2
11	Chittorgarh-Neemuch via Nimbabera, Nayagaon	39	21	60	4	4	84	156	2	2
12	Udaipur-Jhalawar via Bhanpur, Neemuch, Navagaon, Nimbahera.	152	160	312	2		320		2	
13	Banswara-Kota via Pratapgarh, Mandsour, Neemuch, Singoli, Bhaansrodgarh, Rawatbhata.	196	153	349	4	2	612	392	4	2
14	Neemuch-Udaipur via Chotisidri Nimbahera Sanwariji.	192	6	198	2	2	12	384	2	2
15	Indore-Nathawara via Neemuch, Chittorgarh, Mawli.	148	293	441	2	2	586	296	2	2
16	Ratlam-Ajmer via Neemuch, Chittor, Bhilwara	229	159	388	2	4	318	916	2	4
17	Mandsour-Jaipur via Neemuch, Chittor, Bhilwara, Ajmer.	362	73	435		2		724		2
18	Neemuch-Ahmedabad via Mandsour, Pratapgarh, Banswara, Ratnpur.	247	63 Guj-134	444	2	1	126	247	2	1
19	Bewar Indore via Asind, Bhilwara, Chittor, Ratlam	298	293	591	2		586		2	
20	Ratlam-Ajmer via Malharagarh, Mandsour, Jaora, Neemuch, Nimbahera, Bhilwara.	229	159	388	2	2	318	458	2	2
21	Jawad-Chittor via Nayagaon, Nimbahera	35	14	49	4	8	56	280	2	4
22	Neemuch Bhilwara via Chittor, Nimbahera, Navagaon, Jawad.	93	21	114		2		186		2
23	Jhalawar-Udaipur via Ramganjmandi, Rawatbhata, Singoli, Chittorgarh.	331	22	353	2		44		2	
24	Chittor-Neemuch via Choti-Sadri Bhanwaramata, Nimbahera.	59	6	65	2		12		1	
25	Chittor-Mansa via Neemuch, Nayagaon, Ghasundi	39	47	86	2	2	94	78	1	1
26	Udaipur Neemuch via Mangalwar, Nimbahera, Nayagaon.	113	21	134	4	2	84	226	2	1
27	Chittor-Neemuch via Nimbahera, Nayagaon Dhasundi.	39	21	60	4		84		2	
28	Chittorgarh-Kanera via Nimbahera, Nayagaon, Jawad.	32	26	58	12		312		3	
29	Jodhpur-Indore via Bhilwara, Chittorgarh, Ratlam, Nagda, Nayagaon, Dhasundi.	363	292	655	4	2	1168	726	4	2
30	Indore-Ajmer via Ratlam, Mandsour, Neemuch, Bhilwara.	225	292	517	2	2	584	450	2	2
31	Neemuch-Pushkar via Nagaon, Chittor, Bhilwara, Ajmer.	244	21	265	2	2	42	488	2	2
32	Chittor-Ujjain via Pratapgarh, Arnod, Dalod, Ninod, Piploda, Sailana, Ratlam, Bhandawar, Badnagar.	150	110	260	2		220		2	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
33	Kota-Udaipur via Rawatbhata, Singoli, Chittor	292	21	313	2		42		2	
34	Kota-Mountabu via Rawatbhata, Singoli, Chittor, Udaipur, Gogunda, Piluwada.	477	21	498	2		42		2	
35	Ajmer-Khandwa via Bhilwara, Chittorgarh, Nimbahera, Dhasundi, Neemuch, Mandsour, Ratlam, Indore.	229	423	652	2	2	846	498	2	2
36	Chittor-Ujjain via Ratlam, Mandsour, Neemuch	163	162	325	2		324		2	
37	Neemuch-Ajmer via Bhilwara, Chittor, Nimbahera, Nayagaon, Dhasundi.	229	21	250		4		916		4
38	Ratlam-Nathdwara via Neemuch, Chittor, Udaipur	148	159	307	2	2	318	296	2	2
39	Neemuch-Sawariaji via Nayagaon, Nimbahera	44	21	65		4		176		2
40	Dhar-Nathdwara via Ratlam, Nimbahera, Chittorgarh, Kapasan, Fatehnagar, Mawali.	148	254	402		2		296		2
41	Neemuch-Gwalior via Jawad, Singoli, Rawatbhata, Kota, Khatoli, Sheopur, Shivpuri.	189	351	540		2		378		2
42	Neemuch-Nathdwara via Chittorgarh, Nimbahera, Nayagaon, Kapasan.	148	21	169		2		296		2
43	Dewas-Pushkar via Indore, Ratlam, Neemuch, Nayagaon, Chittorgarh, Ajmer.	244	330	574		2		488		2
44	Jhabua-Banswara via Thandala	88	45	133	2	-	90	-	1	-
45	Keshriaji-Dungarpur-Indore via Sagwara, Gakhmi, Banswara, Thandala, Dhar.	186	186	372	2	2	372	372	2	2
46	Badwani-Galikot via Kukshi, Meghnagar, Banswara	172	180	352	-	2	-	344	-	2
47	Dungarpur-Indore via Banswara, Kushalgarh, Jhabua, Dhar.	199	202	401	2	-	404	-	2	-
48	Dhar-Meghnagar-Banswara	89	138	227	2	2	276	178	2	2
49	Indore-Galiakot via Dhar, Meghnagar	172	202	374	-	2	-	344	-	2
50	Banswara-Jhalawar via Pratapgarh, Mandsour, Shamgarh, Garoth, Bhanpur.	141	165	306	2	-	330	-	2	-
51	Udaipur-Indore via Bathewar, Bhindar, Kanod, Balibagh, Pratapgarh, Amodsailana, Ratlam.	321	198	519	2	-	396	-	2	-
52	Udaipur-Mandsour via Pratapgarh Rajpuria	189	13	202	2	-	26	-	2	-
53	Bhilwara-Omkareshwar via Chittorgarh, Nimbahera, Pratapgarh, Mandsour, Jaora, Ratlam, Indore.	183	294	477	2	2	588	366	2	2
54	Rampura-Galiakot via Mandsour, Pratapgarh, Banswara.	193	104	297	2	2	208	386	2	2
55	Banswara-Ratlam via Salilana	46	52	98	6	8	312	368	3	4
56	Banswara-Bamina	42	32	74	2	2	64	84	1	1
57	Kushalgarh-Ratlam via Mokhampura Chotasingh, Bajana.	39	56	95	2	4	112	156	1	2
58	Banswara-Ratlam via Khandu, Bajana	53	53	106	4	-	212	-	2	-
59	Udaigarh-Banswara via Kushalgarh	92	18	110	1	1	18	92	1	1
60	Indore-Udaipur via Banswara	209	186	395	4	4	744	836	4	4
61	Ujjain-Nathdwara via Badnagar, Ratlam, Sailana, Banswara, Salumber, Jaisamand, Udaipur.	254	154	408	2	2	308	508	2	2
62	Udaipur-Ratlam via Magalwad, Nimbahera, Chhotisardi, Pratapgarh.	257	52	309	2	2	104	514	2	2
63	Ujjain-Galiakot via Ratlam, Banswara	117	167	284	2	2	334	234	2	2
64	Udaipur-Bhopal via Banswara, Ratlam, Indore, Dewas, Ashta.	209	375	584	2	2	752	418	2	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
65	Banswara-Omkareshwar via Ratlam, Badnagar-Indore	38	263	301	2	2	526	76	2	2
66	Indore-Nathdwara via Badnawar, Ratlam, Banswara, Udaipur.	261	185	446		4		1044		4
67	Udaipur-Ratlam via Banswara, Dhampur	209	52	261	2	4	104	836	2	4
68	Khargone-Nathdwara via Dhar, Ratlam, Banswara, Udaipur.	261	264	525		2		525		2
69	Banswara-Burhanpur via Ratlam	38	362	400	2	2	724	76	2	2
70	Banswara-Khandwa via Ratlam	38	317	355	2	2	634	76	2	2
71	Ratlam-Nakodaji via Banswara, Salumber, Gogunda, Ranakpur, Falana, Sanderao, Ahore, Siwana, Jaslfata,-	516	52	568	-	2	-	1032	-	2
72	Chittorgarh-Indore via Pratapgarh, Bandawar	167	182	349	2	-	364	-	2	-
73	Ratlam-Aburoad via Banswara, Udaipur	339	52	391	-	2	-	678	-	2
74	Ratlam-Dungarpur via Banswara	148	52	200	-	2	-	296	-	2
75	Ratlam-Falna via Dhanpur, Banswara, Udaipur	325	52	377	-	2		650		2
76	Bhanpura-Soyat via Sunel, Pirawa	58	32	90	4	2	128	116	2	1
77	Bhawanimandi-Padawa via Soyat	58	6	64	6	-	36	-	3	-
78	Nalkheda-Pilplia-Kulmi-Bakani	8	60	68	-	2	-	16	-	1
79	Kundla-Agar via Chaumela, Dug. Dudhaliya	43	42	85	2	2	84	86	1	1
80	Indore-Bhanpura via Ujjain, Soyat, Jhalawar	64	219	283	-	2	-	128	-	2
81	Indore-Kota via Ujjain, Agar, Jhalawar	125	200	325	10	8	2000	100	10	8
82	Ujjain-Kota via Agar	125	144	269	4	2	576	250	4	2
83	Jaipur-Indore via Kota, Jhalawara, Agar, Ujjain	378	200	578	2	2	400	756	2	2
84	Agar-Chomela via Dug. Dudhalia	41	37	78	4	4	148	164	2	2
85	Sitamau-Chomela via Suashra Extdd. Upto Nagieshwar, Tirath	24	35	59	-	2	-	48	-	1
86	Bhawanimandi-Ujjain via Barod	74	86	160	2		172		2	
87	Ramganjmandi-Bhanpura via Undwa	11	23	34	2	2	46	22	1	1
88	Chechat-Garoth via Murath, Ramganjmandi, Sathkhedia, Bhasoda, Mandipanch, Pahar.	37	34	71	4	2	136	74	2	1
89	Chomela, Sathera Nageshwar via shyamgarh extd. Nageshwar.	10	95	105		2		20		1
90	Soyat-Ajmer via Jhalawar, Kota	329	10	339	2	2	20	658	2	2
91	Bhawanimandi-Indore via Sunel	52	199	251		2		104		2
92	Ujjain-Bhanpur via Agar, Dudhaliya, Boliya, Garoth	65	141	206	2	2	282	130	1	1
93	Kota-Dewas via Jhalawar,Soyat, Agar, Ujjain	125	180	305	2		360		2	
94	Bhawanimandi-Indore via Dugbarod Ujjain	85	147	232	4		588		4	
95	Bhawanimandi-Ratlam via Dugunhel Aloth Jawra	105	85	190	2		170		2	
96	Ujjain-Pushkar via Kota-Ajmer	342	144	486		2		684		2
97	Jhalawar-Garoth via Jhalawar Road	37	43	80	6		258		3	
98	Kota Khandwa via Ujjain-Indore	125	330	455	2	2	660		2	2
99	Kota-Omkareshwar via Indore	125	277	402	2	2	554	250	2	2
100	Jhalawar-Bhanpura via Jhalawar Road	37	18	55	6	2	108		3	
101	Jhalawar-Indore via Soyat, Agar, Ujjain	39	200	239	2		400		2	
102	Baran-Ratlam via Khanpur-Patan-Bhawanimandi Dug.	240	90	330	2		180		2	
103	Baran-Jhalawar via Bhawanimandi-Allot	120	5	125	2		10		2	
104	Bhawanimandi-Khandwa via Sunel, Indore	52	329	381	2		658		2	
105	Bundi-Khandwa via Kota-Jhalawar Soyat-Agar-Ujjain-Indore.	165	330	495	2		660		2	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
106	Biaora-Kherabad via Rajgarh-Khilchipur-Iklera-Patan-Jhalawar-Suket Ramganjmandi.	155	100	255		2		310		2
107	Jhalawar-Khilchipur via Machalpur, Bakani, Jirapur	63	36	99	2		72		2	
108	Jhalawar-Bhopal via Iklera Boria	81	182	263	2		364		2	
109	Kota-Indore via Patan Machapur-Jirapur Pachor	144	245	389	2		490		2	
110	Bhopal-Kota via Biora-Eklera-Jhalawar	169	182	351	6	6	1092	1014	6	6
111	Bhopal-Ajmer via Biora-Kota	376	182	558	2	2	364	752	2	2
112	Jhalawar-Biora via Iklera-Manoharthana-Rajgarh	107	51	158	2		102		2	
113	Rajgarh-Bakani via Khilchipur-Manchalpur	8	61	69		4		32		2
114	Biora-Nathdwara via Rajgarh-Khilchipur-Jhalawar-Chambal Dem-Neemuch-Chittorgarh-Kapassan.	259	229	488	2	2	458	518	2	2
115	Ramganjmandi-Khilchipur via Banani Machalpur	93	34	127	2		68		2	
116	Bhopal-Jaipur via Biora, Kota, Deoli	422	182	604	4	4	728	1688	4	4
117	Iklera-Biora via Ghatoli-Rajgarh	14	80	94	2		160			
118	Shajapur-Kota via Saranpur-Sindoota-Jirapur-Machalpur-Patan.	144	95	239	-	2	-	288	2	-
119	Bara-Indore via Salpura-Iklera-Khilchipur-Jirapur	127	183	310	2	-	366	-	2	-
120	Bhopal-Pushkar via Biora Rajgarh-Khilchipur-Jirapur-Bakani-Patan-Jhalawar-Kota-Deoli-Ajmer.	389	182	571	2	2	364	778	2	2
121	Baran-Indore via Jhalawar-Soyat-Agar-Ujjain	125	200	325	2	-	400	-	2	-
122	Ekera-Guna via Manoharthana-Chachora-Binaganj	42	83	125	2	-	166	-	1	-
123	Guna-Jhalawad via Begaganj, Manoharthana	102	87	189	2	2	174	204	1	1
124	Baran-Bhopal via Chabra-Radhogarh Kumbaraja-Biora.	95	181	276	2	-	362	-	2	-
125	Guna-Jaipur via Baran Kapsi-Kota	390	77	467	-	2	-	780	-	2
126	Baran-Gana via Kapsi	58.5	70	128.5	2		140	-	1	-
127	Kota-Jhansi via Shivpuri Karera	185	132	333	4	-	528	-	4	-
			16 UP							
128	Shivpuri-Shahabad via Kasba Thana	29	48	77	2	-	96	-	2	-
129	Shivpuri-Kota	185	48	233	8	4	384	740	4	2
130	Shivpuri-Shahabad Extd. Upto Kota	185	48	233	2	4	96	740	1	2
131	Sheopur-Kota via Itawa, Khatoli	100	23	123	16	2	368	200	8	1
132	Sheopur-Baran via Mangrol, Kasbathana	42	48	90	8		384	-	4	-
133	Kota-Gwalior via Baran-Shahbad Kasleathabe extd. Upto Kota.	185	168	353	4	-	672	-	4	-
134	Sheopur-Baran via Mangrol-Kalapatna exted. Upto Kota.	102	48	150	-	6	-	612	-	6
135	Kota-Sheopur-Baroda	102	48	150	2	-	96	-	1	-
136	Jhalawar-Baran-Khatoli-Sheopur	135	33	168	2	-	66	-	2	-
137	Baran-Jaipur via Mangrol-Baroda-Sheopur-Pali-Sawai-Madhopur-Aligarh-Unaira-Tonk-Niwai-Chaksu.	265	60	325	2	-	120	-	2	-
138	Jhansi-Shivpuri-Sheopur extd. upto Jaipur via Swamimadhopur Tonk.	227	250	477	-	4	-	908	-	4
139	Gwalior-Jaipur via Agra	230	66	296	6	6	396	1380	6	6
140	Gwalior-Dholpur via Murena	4	66	70	6		396	-	3	-
141	Bhind-Dholpur via Murena	4	123	127	2		246		1	
142	Rajakheda-Murena via Dholpur extd. Upto Bhind via Ambah-Porsa-Meghaon.	42	132	174		2		84		1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
143	Gwalior Delhi	29	66	309	4	8	264	232	4	8
			18-DL							
			130-UP							
			66-HR							
144	Agra-Gwalior via Dholpur	29	66	95	6	12	396	348	3	6
145	Keladevi-Gwalior via Karauli-Sirmathura Badi-Dholpur.	119	66	185	2	2	132	238	2	2
146	Mathura-Gwalior via Agra	29	66	185	6	4	396	116	3	2
			90-UP							
147	Khajuraho-Agra via Gwalior Jhansi	29	257	405		2		58		2
			116-UP							
148	Khajuraho-Gwalior Jhansi	29	257	402		2		58		2
			116-UP							
149	Murena-Mathura via Dholpur	29	24	143	2	4	48	116	1	2
			90-UP							
150	Murena-Agra via Dholpur	29	24	85	4	4	96	116	2	2
			32-UP							
151	Mahaveerji-Songariri via Karauli-Dholpur-Murena-Gwalior-Dabra.	143	143	286	2		286		2	
152	Basedi-Porsa via Dholpur-Murena	53	74	127	2		148		1	
153	Gwalior-Chandigarh via Murena-Dholpur-Agra-Mathura-Delhi-Ambhala.	29	66	541		4	636	116		4
		130-UP	267HR							
		18-DL	10CH							
			31PNB							
154	Gwalior-Muradabad via Dholpur, Agra-Aligarh-Chandosi.	29	66	95		2		58		2
155	Dholpur-Vijaypur via Gwalior-Shivpur-Guna	4	318	322	2		636		2	
156	Dholpur-Guna via Murena-Gwalior-Shivpuri	4	281	285	2		132		2	
157	Gwalior-Pushkar via Agra Bharatpur Jaipur	377	66	517		4		1508		2
			74 UP							
158	Bharatpur-Agra-Gwalior	45	66	185	2		132		2	
			74 UP							
159	Gwalior-Jaipur via Dholpur-Gangapur	293	66	359	2		132		2	
160	Gwalior-Dholpur extd. Upto Agra	29	66	95		2		58		1
161	Bhind-Dholpur extd. Upto Agra	29	66	187	4	2	136	58	4	1
			32 UP							
162	Ambah-Mathura via Murena-Dholpur-Agra	29	123	184		2		58		1
			32 UP							
163	Gwalior-Jaalundhar via Dholpur-Agra-Delhi	29	58	307		2		58		2
		130-UP	90 UP							
164	Gwalior-Ludhiana via Dholpur Agra Delhi	29	66	467		2		58		2
		102 HR	202 HR	50 PNB						
				18 DL						
165	Gwalior-Goverdhan via Dholpur Agra Mathura	29	66	204		2		58		1
			109 PNB							
166	Gwalior-Barili via Dholpur Agra	29	66	342		2		58		2
			247 UP							
167	Gwalior-Aligarh via Dholpur Agra	29	66	263	2	2	132	58	1	2
			168 UP							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
168	Gwalior-Haridwar via Dholpur-Agra-Aligarh	29	66	496		4		116		4
			401 UP							
169	Murena-Delhi via Dholpur-Agra-Mathura	29	24	267		2		58		2
		130 UP	66 HR	18 DI						
170	Gwalior-Vrindavan via Dholpur-Agra-Mathura	29	66	196		2		58		1
			101 UP							
171	Kota-Burhanpur via Jhalawar-Agra-Ujjain-Khandwa.	125	430	555	2		860		2	
172	Kota-Udaipur via Rawabhata-Singoli-Jawad-Nayagaon-Nimbahera-Mangalwad.	198	85	283	4		340		4	
173	Baran-Sheopur via Mangrol-Itawal-Khatholi-Premsar.	84	23	107	4		92		2	
174	Brijnagar-Soyat-Pidwa	32	10	42	6	2	60	64	6	2
175	Ratlam-Udaipur via Neemuch-Chittorgarh	155	161	316	2	2	322	310	2	2
176	Bhopal-Neemuch via Jhalawad Eklera-Khilchipur	109	336	445		4		436		4
177	Tonk-Sheopur via Swamimadhopur-Pali	127	26	153	4		104		2	
178	Jaipur-Sheopur via Dausa-Lalsot-Swamimadhopur-Pali.	131	26	157	4		104		2	
179	Jhalawar-Bhavngajagi via Soyat-Agar-Ujjain-Indore-Mhow-Dhamnod.	39	370	409	2		740		2	
180	Kushalgarh-Udaigarh	18	18	36	6	2	108	36	3	1
181	Neemuch-Nimbahera via Nayagaon-Jawad Dugiwada.	8	40	48		6		48		1
182	Sabalgarh-Dholpur via Kailaras, Jora Murena-Dewari-Saraichol-Manpura.	5	95	100		2		10		1
183	Udaipur to Indore via Bansi Pratapgarh	221	186	407	2		372		2	
184	Udaipur to Jawad via Nimbahera Nyagaon	113	14	127	4		56		4	
185	Banswara to Bhopal via Ratlam-Indore-Dewas	38	376	414	2	2	752	76	2	2
186	Dholpur to Shivpuri via Murena-Gwalior	4	185	189	2		370		2	
187	Kota to Ratlam via Gandhi Sagar-Rampura-Mandsour	94	215	309	2	2	430	188	2	2
188	Pachmadi to Kota via Bhopal-Biora-Jhalawar	169	377	546		2		338		2
189	Bhopal to Nathdwara via Indore	148	483	631		2		296		2
190	Khandwa to Jaipur via Indore-Ujjain-Jhalawar-Kota	378	330	708		2		756		2
191	Burhanpur to Galiyakot via Indore-Ratlam-Banswara	193	386	579		2		386		2
192	Gwalior to Haridwar via Dholpur-Agra-Delhi	29	66	95		2		58		2
193	Gwalior to Dehradun via Dholpur-Agra	29	66	95		2		58		2
194	Gwalior to Massori via Dholpur-Delhi	29	66	95		2		58		2
195	Gwalior to Delhi via Dholpur-Agra	29	66	95		2		58		2
196	Khajuraho to Delhi via Dholpur-Agra	29	222	251		2		58		2
197	Chhatarpur to Delhi via Dholpur-Agra	29	170	199		2		58		2
198	Gwalior to Udamsingh Nagar via Dholpur-Agra	29	66	95		2		58		2
199	Nimbahera-Kanera via Jawad-Athana	13	29	42	12	6	174	78	3	3
200	Chhatarpura-Patan via Pipalia-Bilwari	33.5	0.21	33.71	8	8	168	268	4	4
	Total ..				463	378	44680	43186	348	294

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.